

संलग्नक-18

परियोजना का नाम— जनपद बदायूँ में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत मेरठ-बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग सं०-18) के किमी० 163 से 208(400) तक के भाग में दो लेन से चार लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।

प्रस्तावित वन-भूमि को शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा करने की वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा वन क्षेत्र में प्रस्तावित जनपद बदायूँ में मेरठ बदायूँ मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-18) किमी० 163 से 208(400) तक वर्तमान मार्ग के दोनों ओर 4 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हेतु जनपद बदायूँ में 64.60 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि प्रभावित होती है। अतः शुद्ध वर्तमान मूल्य की धनराशि जमा करने हेतु उ० प्र० लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है। उक्त के अतिरिक्त भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई धनराशि भी जमा करने हेतु उ० प्र० लोक निर्माण विभाग वचनबद्ध है।


(संजय श्रीवास्तव)
प्रभारी निदेशक
संवर्धन व वन्यजीव प्रभाग, बदायूँ


(ई० प्र० लोक निर्माण वि० सं०)
अतिरिक्त अभियन्ता
वि० सं० लोक निर्माण वि० सं०
बदायूँ।